

## धर्म की आड़ में राष्ट्र के साथ धोखा कमीशन लेकर भारतीयता बेचने वाले भंते नहीं, अपराधी हैं

**धर्म** की आड़ में पासपोर्ट बनवाने का खेल कोई नया नहीं है। ग्वालियर के डबरा स्थित सिमरिया वार्ड में छह बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय पासपोर्ट दिलाने का मामला केवल जालसाजी नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इस मामले में दलालों से ज्यादा दोषी वह व्यवस्था है, जो थोड़े से धन के लालच में अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी बेच देती है।

गुलाबराय गौतम उर्फ मास्टरमाइंड ने स्वीकार किया है कि वह करीब पांच साल तक सिमरिया के आंबेडकर पार्क स्थित बौद्ध विहार का प्रमुख रहा। इसी दौरान रियाल चौधरी अपने साथियों के साथ वहां आया। आरोप है कि गुलाबराय ने अपने धार्मिक और सामाजिक प्रभाव का इस्तेमाल कर पुलिस-प्रशासन को गुमराह किया। उसने और उसके चेले गयाप्रसाद ने गवाही दी कि किसी छह लोग सिमरिया टेकरी के पुराने निवासी हैं। इसके बाद आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाणपत्र और जन्म प्रमाणपत्र आनन-फानन में तैयार हो गए।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस सत्यापन महज चार दिन में कैसे पूरा हो गया? आम आदमी को पासपोर्ट बनवाने के लिए महीनों तक थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पुलिस घर आती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है और पुराने रिकॉर्ड खंगालती है। फिर छह विदेशी नागरिकों का सत्यापन इतनी जल्दी कैसे हो गया? यह भ्रष्टाचार की ओर गंभीर संकेत करता है।

खुद को फंस्ता देख गुलाबराय अब सारा ठीकरा रियाल चौधरी पर फोड़ रहा है। वह दावा कर रहा है कि उसने भरोसे में गवाही दी थी। हालांकि, एसटीएफ की जांच और बैंक खातों की पड़ताल से ही उसकी भूमिका और कथित कमाई का सच सामने आएगा। सवाल यह भी है कि सरकारी तंत्र में बैठे वे लोग कौन हैं, जिनकी मिलीभगत के बिना इतने दस्तावेज तैयार होना संभव नहीं था? आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाणपत्र और जन्म प्रमाणपत्र बनाने से लेकर पुलिस सत्यापन तक हर स्तर की जांच होनी चाहिए।

धर्म की आड़ सबसे आसान रास्ता बन जाती है, क्योंकि धार्मिक पहचान और प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने से लोग हिचकते हैं। इसी भरोसे का दुरुपयोग कर यदि कोई देश की नागरिकता से जुड़ी व्यवस्था को धोखा देता है, तो वह किसी भी तरह की सहानुभूति का पात्र नहीं हो सकता।

केवल गुलाबराय को जेल भेजने से यह खेल खत्म नहीं होगा। उन अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों की भी पहचान होनी चाहिए, जिन्होंने कथित रूप से पैसे लेकर फर्जी दस्तावेज बनवाए या सत्यापन में लापरवाही की। पासपोर्ट महज एक दस्तावेज नहीं, देश की संप्रभुता से जुड़ा प्रमाण है। इसलिए दोषी विदेशी नागरिकों के साथ उन भारतीयों पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने चंद रुपयों के लिए देश के साथ विश्वासघात किया।

## आजकल

## न्यायपालिका का राजनीतिक उपयोग और उसकी सीमा

**लोकतंत्र** में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अपनी भूमिका और मर्यादा है। लेकिन पिछले कुछ समय से हर राजनीतिक विवाद को अदालत तक ले जाने और मनचाहा परिणाम नहीं मिलने पर उसी के खिलाफ टिप्पणी करने या विरोध जताने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह गंभीर चिंता का विषय है।

हाल ही में एक राजनीतिक समूह ने संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिलने की मांग की। मुलाकात से इनकार किए जाने पर इसे सार्वजनिक रूप से प्रचारित किया गया। सवाल है कि क्या यह परंपरा उचित है? न्याय व्यवस्था व्यक्तिगत मुलाकातों से नहीं, बल्कि स्थापित प्रक्रियाओं से चलती है। यदि हर राजनीतिक दल न्यायाधीश से मिलकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा, तो न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होगी। न्याय दबाव से नहीं, संविधान और कानून से चलता है।

लोकतंत्र में विरोध का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका उपयोग संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप होना चाहिए। विरोध के मंच संसद, सड़क और जनता के बीच हैं। अदालत को राजनीतिक अखाड़ा बनाना उचित नहीं है। भारत का लोकतंत्र परिपक्व है। यहां चुनाव, संसद, स्वतंत्र मीडिया और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं मौजूद हैं। दूसरे देशों की राजनीतिक अस्थिरता के उदाहरणों को भारत में लागू करने की कोशिश अनुचित है। समस्याओं का समाधान संविधान के दायरे में ही तलाशना चाहिए।

न्यायपालिका की भूमिका केवल बड़े राजनीतिक मामलों तक सीमित नहीं है। हिरासत में यातना, बंधुआ मजदूरी, औद्योगिक क्षेत्रों में सिलिकोसिस और वंचित समुदायों के अधिकारों की रक्षा भी उसनी ही महत्वपूर्ण है। मानवाधिकार संस्थाओं की वास्तविक कसौटी यही है कि वे सबसे कमजोर लोगों की आवाज कितनी प्रभावी ढंग से सुनती हैं।

यदि हर राजनीतिक लड़ाई अदालत में लड़ी जाएगी, तो संसद और कार्यपालिका की जवाबदेही का क्या होगा? अदालत को अपना काम करने देना चाहिए और राजनीति को अपना। विरोध होना चाहिए, सवाल भी उठने चाहिए, लेकिन सही मंच और संवैधानिक तरीके से। अदालत को राजनीतिक औजार बनाने से न न्याय मजबूत होगा, न लोकतंत्र।

## सोने का महल और बंकर की दीवारें, जंग में फंसा सऊदी और बंकर में सिमटा राजकुमार

### पश्चिम

एशिया की राजनीति अक्सर तेल और सोने के महलों से समझी जाती है, लेकिन अब वही महल बंकर बनते जा रहे हैं। सऊदी अरब को दुनिया का सबसे धनी और ताकतवर अरब देश माना जाता रहा है। उसके पास अमेरिका का समर्थन, अत्याधुनिक हथियार और तेल का विशाल भंडार है। इसके बावजूद यमन के हूती विद्रोहियों के ड्रोन और मिसाइलों से पैदा हुआ खतरा उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। शासकों के बंकरों में जाने की खबरें इसी असुरक्षा को लेकर चर्चाओं का विषय हैं।

सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा को मुख्य रूप से दो स्तंभों पर टिकाया है, तेल की ताकत और अमेरिका का संरक्षण। तेल से पैसा आया, पैसे से हथियार खरीदे गए और हथियारों से यह विश्वास पैदा हुआ कि सुरक्षा खरीदी जा सकती है। लेकिन हूतियों ने इस धारणा को चुनौती दी है। यमन दुनिया के गरीब देशों में

शामिल है, फिर भी वहां के विद्रोही ड्रोन और मिसाइलों से सऊदी अरब के सामरिक ठिकानों और तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की क्षमता रखते हैं। महंगे पैट्रियट रक्षा तंत्र के सामने सस्ते ड्रोन को रोकना आर्थिक और सामरिक चुनौती बन गया है।

यह लड़ाई महंगी तकनीक और सस्ते हथियारों की प्रभावशीलता के बीच संघर्ष बन गई है। इसके पीछे ईरान और सऊदी अरब की प्रतिद्वंद्विता भी महत्वपूर्ण है। यमन में यह संघर्ष लंबे समय तक छछ युद्ध का रूप ले चुका है। ईरान हूतियों का समर्थन करता है, जबकि सऊदी अरब यमन की सरकार के समर्थन में रहा है। व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष के बीच हूतियों के हमलों का खतरा सऊदी अरब की चिंताएं बढ़ाता है।

बाब अल मंदेब जलडमरूमध्य विश्व व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहां अस्थिरता से क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ वैश्विक व्यापार भी प्रभावित हो सकता

है।

### सड़क

केवल गिट्टी और तारकोल का नाम नहीं है, वह जीवन की रेखा है। लेकिन जब यही रेखा काली पड़ जाती है तो उसे ब्लैक स्पॉट कहा जाता है और जब कई काले धब्बे एक साथ मिल जाते हैं तो पूरा रास्ता ब्लैक कॉरिडोर बन जाता है। आज देश में हजारों किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं, जहां बार-बार एक ही जगह हादसे हो रहे हैं। एक ही मोड़ पर गाड़ियां पलट रही हैं और एक ही चौराहे पर लोग जान गंवा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह किस्मत है या हमारी लापरवाही का नतीजा? हादसा अचानक नहीं होता, वह पहले चेतावनी देता है। सड़क बताती है कि उसकी हालत खराब है, मोड़ अपनी गलत डिजाइन का संकेत देता है और अंधेरा बताता है कि यहां रोशनी नहीं है। लेकिन हम सुनते नहीं हैं। हम तब जागते हैं, जब किसी की जान चली जाती है। अब समय आ गया है कि हम सड़क की भाषा सुनें और तकनीक की मदद से उसे समझें।

ई-डीएआर का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सिडेंट रिपोर्ट है। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें हर हादसे की पूरी जानकारी डिजिटल रूप में दर्ज की जाती है। हादसा कहां और किस समय हुआ, मोसम कैसा था, सड़क पर रोशनी थी या नहीं, वाहन कितनी तेज गति से चल रहा था, चालक ने हेलमेट पहना था या नहीं और सड़क पर गड्ढा था या नहीं, इन सभी जानकारीयों को दर्ज किया जा सकता है। पहले यह जानकारी कागजों में खो जाती थी, अब यह डेटा बनकर कंप्यूटर में

## ऑनलाइन शॉपिंग में रिफंड के नाम पर साइबर ठगी का नया जाल



**इस ठगी की शुरुआत एक सामान्य खोज से होती है। ग्राहक को सामान परफेक्ट नहीं आता या वह ऑर्डर रद्द करना चाहता है। वह गूगल पर कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर खोजता है। यहीं ठगों का जाल बिछा होता है।**

### त्योहारी

सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार अपने शिखर पर होता है और इसी के साथ सक्रिय हो जाता है साइबर अपराधियों का संगठित तंत्र। पहले जहां ठगी सामान खरीदने के दौरान होती थी, वहीं अब ठगों ने रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया को ही अपना हथियार बना लिया है। भोपाल सहित देश के कई शहरों में इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। यह स्पष्ट है कि साइबर अपराध अब केवल तकनीकी सेंधमारी नहीं, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान के साथ किया जाने वाला छल भी है।

इस ठगी की शुरुआत एक सामान्य खोज से होती है। ग्राहक को सामान परसंद नहीं आता या वह ऑर्डर रद्द करना चाहता है। वह गूगल पर कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर खोजता है। यहीं ठगों का जाल बिछा होता है। बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों से मिलते-जुलते नामों वाली फर्जी वेबसाइटें बनाकर उन पर मोबाइल नंबर कस्टमर केयर के रूप में डाल दिए जाते हैं। कई बार ये नंबर प्रायोजित विज्ञापनों के रूप में सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखाई देते हैं। ग्राहक को लगता है कि वह असली कंपनी से बात कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ठग बैठा होता है, जो कंपनी की भाषा और कार्यप्रणाली से परिचित होता है।

डीसीपी, क्राइम ब्रांच, भोपाल की जानकारी के अनुसार, रिफंड के नाम पर ठगी के कई तरीके सामने आए हैं। पहले तरीके में ठग रिफंड जारी करने के लिए बैंक खाते का सत्यापन करने की बात कहकर खाता नंबर, एटीएम पिन, सीवीवी और ओटीपी मांगते हैं। ग्राहक जल्दबाजी में जानकारी साझा कर देता है और उसके खाते से रकम निकाल ली जाती है। दूसरे तरीके में रिफंड के लिए लिंक पर क्लिक करने या एपीके फाइल डाउनलोड करने को कहा जाता है। इससे फोन में मौजूद बैंकिंग जानकारी तक ठगों की पहुंच बन सकती है। तीसरे तरीके में एक रुपये का भुगतान कर खाता सत्यापित करने का झांसा दिया जाता है। फर्जी भुगतान लिंक के जरिए

ग्राहक के खाते से बड़ी रकम निकाल ली जाती है। इस ठगी के पीछे केवल तकनीक नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं का व्यवहार भी जिम्मेदार है। त्योहारी सीजन में आकर्षक ऑफर, भारी छूट और एक के साथ एक मुफ्त जैसी योजनाएं ग्राहकों को जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती हैं। सामान लौटाने समय रिफंड की चिंता का फायदा ठग उठाते हैं। डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण अनेक लोग आधिकारिक और फर्जी वेबसाइटों में अंतर नहीं कर पाते। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि वास्तविक कस्टमर केयर नंबर कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या एप से ही प्राप्त करना चाहिए।

भोपाल पुलिस की एडवाइजरी के अनुरूप, रिटर्न और रिफंड के लिए केवल कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या एप का उपयोग करना चाहिए। गूगल पर दिखने वाले अनजान नंबरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी वास्तविक कंपनी ओटीपी, यूपीआई पिन, एटीएम पिन, सीवीवी या नेट बैंकिंग का पासवर्ड नहीं मांगती। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर लिंक, एपीके फाइल या एनीडेस्क और टीमव्यूअर जैसे स्क्रीन शेयरिंग एप डाउनलोड नहीं करने चाहिए। रिफंड पाने के लिए एक रुपये का भुगतान करने की मांग पर भी सतर्क रहना चाहिए। रिफंड का अर्थ पैसा वापस मिलना है, पैसा देना नहीं।

ऑनलाइन शॉपिंग आधुनिक जीवन की सुविधा है, लेकिन इसके साथ सतर्कता अनिवार्य है। पुलिस और प्रशासन की एडवाइजरी के बावजूद अंतिम सुरक्षा उपभोक्ता की जागरूकता ही है। ठग अक्सर तकनीक से ज्यादा हमारे लालच और जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं। यदि साइबर ठगी हो जाए, तो शर्मिंदगी के कारण चुप रहने के बजाय तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें या नजदीकी पुलिस से संपर्क करें। त्वरित शिकायत ठगी की रकम वापस मिलने की संभावना बढ़ा सकती है।

( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )



**हूतियों की मिसाइल और अरब की नींद उड़ाने वाला डर**

है। अमेरिका का समर्थन होने के बावजूद सऊदी अरब की सुरक्षा संबंधी चिंताएं समाप्त नहीं हुई हैं। क्षेत्रीय परिस्थितियों ने उसे अपनी विदेश नीति और नए रणनीतिक साझेदारों की भूमिका पर भी विचार करने के लिए मजबूर किया है।

प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का उद्देश्य सीमा सुरक्षा मजबूत करना और यमन में ईरानी प्रभाव को रोकना रहा है, लेकिन लंबे संघर्ष की कीमत लगातार बढ़ी है। यमन में हस्तक्षेप को शुरूआती दौर में सीमित अभियान के रूप में देखा गया था, लेकिन वर्षों बाद भी कोई निर्णायक समाधान सामने नहीं आया। तेल प्रतिष्ठानों पर हमलों का खतरा सऊदी अर्थव्यवस्था और विजन 2030 के लक्ष्यों के लिए भी चिंता का विषय है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस देश ने यमन में हवाई शक्ति का प्रदर्शन किया, वही अपनी राजधानी और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। शाही परिवार की सुरक्षा और बंकरों

हाईवे तक सीमित रखना उचित नहीं होगा। गांवों की सड़कों, शहरों की गलियों और कस्बों के चौराहों पर भी हादसों का खतरा रहता है। वहां साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर और पर्याप्त रोशनी की कमी समस्या बढ़ा सकती है। ई-डीएआर के डेटा का प्रभावी उपयोग स्थानीय प्रशासन को अपने क्षेत्र के खतरनाक स्थान पहचानने और जरूरी सुधार करने में मदद कर सकता है। केंद्र के पास तकनीक और प्लेटफॉर्म हैं, जबकि राज्यों के पास स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी है। दोनों के बीच बेहतर समन्वय से सड़क सुरक्षा मजबूत हो सकती है।

सड़क सुरक्षा केवल सरकार का काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। तकनीक बताएगी कि खतरा कहां है, लेकिन नियमों का पालन हमें खुद करना होगा। हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट नहीं लगाने, गलत दिशा में वाहन चलाने और नशे में गाड़ी चलाने जैसी लापरवाहियों पर रोक जरूरी है। अब इंतजार नहीं करना चाहिए कि हादसा हो और उसके बाद व्यवस्था जागे। एआई जहां खतरे का संकेत दे, वहां समय रहते सुधार होना चाहिए। छह हजार काले धब्बों को मिटाने के लिए तकनीक, प्रशासन और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। सड़क को सुरक्षित बनाना जीवन को सुरक्षित बनाना है। एक हादसा केवल एक व्यक्ति की जान नहीं लेता, बल्कि पूरे परिवार का भविष्य छीन लेता है। इसलिए नियमों का पालन करें और सड़कों के बजाय संभावित खतरे को पहले पहचानकर सुधार किया जा सकता है। इस व्यवस्था को केवल बड़े

( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )

## शीर्ष अदालत की टिप्पणी और कैंसर की दवा पर तीस प्रतिशत की सीमा

**न्याय की नजर में मामूली राहत और मरीज की नजर में जीवन-मरण का प्रश्न**

### कैंसर

के उपचार की चर्चा जब भी होती है, तो दो बातें सबसे पहले सामने आती हैं, एक बीमारी की भयावहता और दूसरी उसके इलाज की असहनीय कीमत। एक सामान्य परिवार के लिए कैंसर का निदान केवल शारीरिक पीड़ा नहीं, बल्कि आर्थिक दंड भी बन जाता है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार द्वारा कैंसररोगी दवाओं पर व्यापारिक मुनाफे की सीमा तीस प्रतिशत तय करने की जानकारी और उस पर शीर्ष अदालत की टिप्पणी को देखा जाना चाहिए। सरकार का यह कहना कि उसने तीस प्रतिशत तक व्यापारिक मार्जिन तय कर दिया है, एक प्रशासनिक कदम है, लेकिन इसकी समीक्षा केवल फाइलों के आधार पर नहीं, बल्कि अस्पताल के काउंटर पर खड़े उस पिता की आंखों से होनी चाहिए, जो अपनी पत्नी के लिए कीमोथेरेपी की दवा खरीदने आया है।

दवा उद्योग में मूल्य निर्धारण की श्रृंखला लंबी है। निर्माता से लेकर आयातक, वितरक, स्टॉकिस्ट और फिर अस्पताल या खुदरा विक्रेता तक हर स्तर पर कीमत बढ़ती है। सरकार ने जिस मार्जिन को नियंत्रित किया है, वह इसी मध्यस्थ लाभ को नियंत्रित करने का प्रयास है। केंद्र का तर्क है कि यदि दवाओं की कीमतें बहुत अधिक नियंत्रित कर दी जाएंगी, तो बाजार में उनकी उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। कंपनियां उन दवाओं का आयात या उत्पादन बंद कर सकती हैं, जिन पर लाभ कम हो। इसलिए संतुलन आवश्यक है, ताकि दवाएं बाजार में उपलब्ध रहें और मरीजों को मिलती भी रहें। यह तर्क आर्थिक दृष्टि से समझा जा सकता है, लेकिन नैतिक दृष्टि से अंधूरा है, क्योंकि प्रश्न केवल बाजार का नहीं, बल्कि जीवन के अधिकार का है।

एक दवा जो कारखाने से एक हजार रुपये में निकलती है, यदि अस्पताल तक आते-आते तेरह सौ रुपये की हो जाती है, तो तीन सौ रुपये किसी अमीर व्यक्ति के लिए मामूली हो सकते हैं, लेकिन दैनिक मजदूर के लिए एक सप्ताह के भोजन के बराबर हैं। महीने भर में ऐसी दस खुराक लगने पर यह अतिरिक्त खर्च तीन हजार रुपये का बोझ बन जाता है। इसी कारण अदालत ने इसे मामूली राहत बताया है। राज्य को बाजार के संतुलन के साथ नागरिक के जीवन की गरिमा की भी चिंता करनी होगी।

इस मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष अस्पतालों में पारदर्शिता से जुड़ा है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि अस्पतालों और क्लिनिकल संस्थानों में सभी सेवाओं, जांचों, बिस्तर शुल्क और दवाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएं। यह निर्देश अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवा देश के सबसे अपारदर्शी क्षेत्रों में से एक है। मरीज को भर्ती करते समय अक्सर स्पष्ट अनुमान नहीं दिया जाता और जांचों के नाम पर बिल बढ़ता रहता है। अंततः परिवार की पूरी बचत समाप्त हो जाती है। यदि दरें पहले से सार्वजनिक होंगी,



तो मरीज खर्च का अनुमान लगा सकेगा, अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश लगेगा और मरीज बेहतर तथा किफायती विकल्प चुन सकेंगे।

सरकार ने विदेशी मरीजों के लिए तय पैकेज दरें स्पष्ट करने की बात भी कही है। इसका उद्देश्य चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह उद्देश्य गलत नहीं है। भारत में विश्वस्तरीय डॉक्टर और अस्पताल हैं तथा विदेशी मुद्रा से देश को लाभ होता है। लेकिन जब विदेशी मरीजों के लिए पारदर्शी पैकेज बनाए जा सकते हैं, तो देश के गरीब मरीजों के लिए वही पारदर्शिता क्यों नहीं हो सकती? क्या अपने नागरिक का जीवन विदेशी मरीज से कम मूल्यवान है? यदि एक ही इलाज के लिए भारतीय मरीज से अनुचित रूप से अधिक राशि वसूली जाती है, तो यह नैतिक रूप से गलत है। केंद्र सरकार संतुलन की बात करती है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी के मामले में संतुलन से अधिक संकल्प की आवश्यकता है। संकल्प यह कि कोई नागरिक केवल इसलिए इलाज से वंचित न रहे जाए, क्योंकि वह महंगी दवा नहीं खरीद सकता। जीवनरक्षक दवाओं को सामान्य व्यापारिक वस्तु की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इनके लिए सरकार को उत्पादन बढ़ाने, जन औषधि केंद्रों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने और अस्पतालों को मरीजों के हितों की रक्षा के लिए जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है।

कई निजी अस्पताल अपने परिसर से ही दवा खरीदने की बाध्यता बनाते हैं, जहां अधिक मार्जिन वसूले जाने की आशंका रहती है। यदि मरीज को निर्धारित गुणवत्ता की दवा बाहर से खरीदने का विकल्प मिले, तो मूल्य नियंत्रण का वास्तविक लाभ उस तक पहुंच सकता है। यह बहस केवल तीस प्रतिशत बनाम अधिक मुनाफे की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि हमारे स्वास्थ्य तंत्र का चरित्र क्या होना चाहिए। क्या वह मुनाफे पर आधारित उद्योग होगा या सेवा पर आधारित व्यवस्था? अदालत की टिप्पणी सरकार को याद दिलाती है कि मामूली राहत पर्याप्त नहीं है। देश को ऐसी व्यवस्था चाहिए, जहां दवा की दुकान पर कीमत के साथ भरोसा भी मिले और अस्पताल में यह सुनिश्चित हो कि जीवन बचाना प्राथमिकता है, मुनाफा नहीं।

( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )

से जुड़ी खबरें सत्ता के मनोविज्ञान पर भी सवाल उठाती हैं। हालांकि, ऐसी खबरों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। फिर भी यह स्पष्ट है कि आधुनिक युद्ध में कोई भी महंगी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह अभेद्य नहीं है।

हूतियों के ड्रोन और मिसाइलें केवल विस्फोटक नहीं, बल्कि एक संदेश भी हैं। युद्ध अब केवल सेनाओं के बीच नहीं, बल्कि शहरों, अर्थव्यवस्थाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं के बीच भी लड़ा जा रहा है। सस्ता ड्रोन भी महंगे तेल प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचा सकता है। सऊदी अरब के लिए सबक यही है कि सुरक्षा केवल हथियार खरीदने से नहीं आती। इसके लिए कूटनीति, बातचीत और पड़ोसियों के साथ शांति भी जरूरी है। यमन में स्थायी शांति के बिना सऊदी अरब की सुरक्षा अधूरी रहेगी। बंकर युद्ध में कुछ समय के लिए सुरक्षा दे सकता है, लेकिन स्थायी समाधान बातचीत और क्षेत्रीय स्थिरता से ही निकलेगा।

( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )